मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

*मिशन शक्ति 6.0 *

#OperationConviction

थाना - राजेपुर

दिनांक-27.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 6.0 " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विजयवीर पुत्र सुन्दर सिंह निवासी निविया थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 80/2025 वाद संख्या 385/2025 धारा 65(2),351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय पॉक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 27.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष के कारावास की सजा व 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह



को0 मो0 हे0 का0 तेजसिंह



पैरोकार – का0 संजीव कुमार

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

फतेहगढ़ पुलिस

*मिशन शक्ति 6.0 *

#OperationConviction

थाना - राजेपुर

दिनांक-27.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व " मिशन शक्ति 6.0 " के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त विजयवीर पुत्र सुन्दर सिंह निवासी निविया थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 80/2025 वाद संख्या 385/2025 धारा 65(2),351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय पॉक्सो प्रथम कोर्ट द्वारा दिनांक 27.10.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष के कारावास की सजा व 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री प्रदीप सिंह



को0 मो0 हे0 का0 तेजसिंह



पैरोकार – का0 संजीव कुमार